



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 42630 वर्ष 2025

आशीष उर्फ भोले

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	श्यामल कुमार प्रयागी
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामल कुमार प्रयागी तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह को सुना, और अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान ज़मानत अर्जी, धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत, आवेदक **आशीष उर्फ भोले** की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे मुकदमा विचाराधीन रहने की अवधि के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 308/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, थाना भदोही, जनपद भदोही में पंजीकृत मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। संलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न 'गैंग-चार्ट' में दो आपराधिक मामले दर्शाए गए हैं, और इन सभी मामलों में आवेदक ज़मानत पर है।

आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, सरगना अथवा आयोजक नहीं है, और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित किसी गिरोह की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गतिविधियों में न तो कोई दुष्प्रेरण किया है और न ही कोई सहायता की है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त, आवेदक का केवल दो अन्य आपराधिक इतिहास है। इसके पश्चात् यह निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 05.07.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि अदालत में मुकदमों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के जल्द निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, किंतु उन्होंने आवेदक के विरुद्ध उन मामलों के अतिरिक्त, कोई अन्य मामला इंगित नहीं किया है, जिन्हें आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाया गया है।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से सामने आए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को भी ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना—मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपर्युक्त केस क्राइम नंबर में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक निजी मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों को उजागर करने से रोका जा सके, या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iii) आवेदक, ट्रायल कोर्ट के समक्ष, निम्नलिखित तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा: (i) केस की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना, और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराना।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह गवाही के लिए तय तारीखों पर, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी प्रकार की सुनवाई स्थगित करने की मांग नहीं करेगा।

v) आवेदक निर्धारित प्रत्येक तारीख पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा, चाहे वह स्वयं उपस्थित हो या अपने वकील के माध्यम से।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निपटारे के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

14 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव